



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 01.06.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना पलिया पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त बदलूराम पुत्र बाबूराम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.06.2022 को थाना पलिया पुलिस द्वारा अभियुक्त बदलूराम पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम खालेपुरवा मझगई थाना पलिया जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना पलिया पर मु0अ0सं0 289/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बदलूराम पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम खालेपुरवा मझगई थाना पलिया जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अजीत कुमार सिंह
2. उ०नि० तेज सिंह
3. का० देवेन्द्र सिसौदिया
4. का० घनश्याम शर्मा

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, चोरी की योजना बनाते 03 नफर अभियुक्तों को चोरी करने के उपकरण व अवैध तमंचा-कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.06.2022 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना लूकेपारा रोड पर आम के बाग से चोरी की योजना बनाते 03 नफर अभियुक्तों रोशन सिंह, राहुल सिंह व अभिय सिंह उर्फ पेटू को चोरी करने के उपकरण बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना नीमगांव पर मु0अ0सं0 178/22 धारा 401 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त रोशन सिंह व अभियुक्त राहुल सिंह के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद होने के संबंध में मु0अ0सं0 क्रमशः 179/22 व 180/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट और अभियुक्त राहुल सिंह के कब्जे से अवैध चाकू बरामद होने के संबंध में मु0अ0सं0 181/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रोशन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह नि0 ग्राम बहादुरपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी
2. राहुल सिंह पुत्र पुतू सिंह नि0 ग्राम बहादुरपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी
3. अभय सिंह उर्फ पेटू पुत्र छिद्दू सिंह नि0 ग्राम बहादुरपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी

बरामदगी-

- 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
- 01 अदद अवैध चाकू
- 01 अदद आला नकब
- 01 अदद पेचकश व 01 अदद चाबी का गुच्छा चिटबन्दशुदा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० सुनील बाबू अवस्थी
2. उ०नि० सुनील कुमार
3. हे०का० अरुण कुमार
4. का० निर्देश कुमार
5. का० रोहित कुमार
6. का० विपुल
7. का० कन्हैया तेजवान

थाना खीरी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त विजय पुत्र राम आधार को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 01.06.2022 को थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त विजय कुमार पुत्र राम आधार निवासी ग्राम कबीरपुर थाना हरगांव जनपद सीतापुर को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना खीरी पर मु0अ0सं0 230/2022 धारा 3/ 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विजय कुमार पुत्र राम आधार निवासी ग्राम कबीरपुर थाना हरगांव जनपद सीतापुर

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, ग्राम गुदरिया मे हुई हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, आला कत्ल बांका भी बरामद



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.06.2022 को क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल मार्गदर्शन मे एवं प्रभारी निरीक्षक धौरहरा के नेतृत्व में थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 66/2022 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए मृतक मुनीजर पाल पुत्र गयाप्रसाद पाल नि0 ग्राम गुदरिया, थाना धौरहरा, खीरी की हत्या करने वाले उसके सगे बडे भाई वीरेन्द्र कुमार पाल पुत्र गयाप्रसाद पाल नि0 ग्राम गुदरिया थाना धौरहरा, जनपद खीरी को ग्राम गुदरिया मोड, खडन्जा मार्ग बहद ग्राम भौवापुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म इकबाल करते हुए घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल बांका स्वयं की निशादेही पर गुदरिया मोड, खडन्जा मार्गजाने वाली रोड पर बाग के पास जो तालाब और नाले की पुलिया के नीचे से बरामद कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

वीरेन्द्र कुमार पाल पुत्र गयाप्रसाद पाल नि० ग्राम गुदरिया थाना धौरहरा, जनपद खीरी

बरामदगी-

एक अदद बांका आलाकल्ल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1-प्र०नि० धर्म प्रकाश शुक्ल

2-उ.नि. श्री इन्साफ अली

3-उ.नि. श्री संजय कुमार सिंह

4-का०मुरली मनोहर

सर्व थाना धौरहरा, जनपद खीरी

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, गौकशी के अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.06.2022 को क्षेत्राधिकारी मितौली महोदय के कुशल मार्गदर्शन में थाना नीमगांव पुलिस द्वारा पूर्व में गौकशी के अभियोगों में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये अभियुक्तगण 1.मतीन पुत्र जियाउल्ला खाँ नि० ग्राम रायपुर घुंशी थाना नीमगांव जनपद खीरी 2.सोमीन पुत्र जियाउल्ला खाँ नि० ग्राम रायपुर घुंशी थाना नीमगांव जनपद खीरी 3.एजाज उर्फ छोटू भईया पुत्र इसहाक नि० ग्राम सेहरुआ थाना नीमगांव जनपद खीरी 4.बाबू अली पुत्र मोहरम अली नि० ग्राम पिपरा अहिरी थाना नीमगांव जनपद खीरी के विरुद्ध श्रीमान जिलाधिकारी खीरी महोदय के द्वारा गैंगचार्ट अनुमोदन के उपरान्त गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही कर थाना नीमगांव पर मु०अ०सं० 182/22 धारा 2(b)(xvii)/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम मतीन आदि उपरोक्त 04 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1.मतीन पुत्र जियाउल्ला खाँ नि० ग्राम रायपुर घुंशी थाना नीमगांव जनपद खीरी
- 2.सोमीन पुत्र जियाउल्ला खाँ नि० ग्राम रायपुर घुंशी थाना नीमगांव जनपद खीरी
- 3.एजाज उर्फ छोटू भईया पुत्र इसहाक नि० ग्राम सेहरुआ थाना नीमगांव जनपद खीरी
- 4.बाबू अली पुत्र मोहरम अली निग्राम पिपरा अहिरी थाना नीमगांव जनपद खीरी

आपराधिक इतिहास:-

1-मतीन पुत्र जियाउल्ला खाँ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1.मु०अ०सं० 187/16 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधि० थाना नीमगांव
- 2.मु०अ०सं० 269/18 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधि० थाना नीमगांव
- 3.मु०अ०सं० 174/19 धारा 3/5/8 गाँवथ निवारण अधि० व पशुकूरता अधि० थाना नीमगांव
- 4.मु०अ०सं० 283/19 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधि० थाना नीमगांव
- 5.मु०अ०सं० 261/20 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधि० थाना नीमगांव
- 6.मु०अ०सं० 290/20 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधि० थाना नीमगांव
- 7.मु०अ०सं० 359/20 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट
- 8.मु०अ०सं० 361/20 धारा 3/25 आयुध अधि०

9.मु०अ०सं० 270/21 4/25 आयुध अधि

10.मु०अ०सं० 18/22 धारा 5/8 गाँवध निवारण अधि

2-सोमीन पुत्र जियाउल्ला खाँ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु०अ०सं० 269/18 धारा 3/5A/8 गोवथ निवारण अधि० थाना नीमगांव

2.मु०अ०सं० 174/19 धारा 3/5/8 गाँवध निवारण अधि० व 11 पशुकूस्ता अधि थाना नीमगाव

3.मु०अ०सं० 226/20 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना नीमगांव

4.मु०अ०सं० 261/20 धारा 3/5A/8 गाँवध निवारण अधि थाना नीमगांव

5.मु०अ०सं० 290/20 धारा 3/5A/8 गाँवध निवारण अधि० थाना नीमगांव

6.मु०अ०सं० 359/20 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधि

7.मु०अ०सं० 362/20 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधि

8.मु०अ०सं० 18/22 धारा 5/8 गौवध अधि

3-एजाज उर्फ छोटू भईया पुत्र इसहाक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1-मु०अ०सं० 18/22 धारा 5/8 गौवथ निवारण अधि० थाना नीमगाव

4-बाबू अली पुत्र मोहर्म्म अली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1-मु०अ०सं० 18/22 धारा 5/8 गौवध निवारण अधि थाना नीमगांव

2-मु०अ०सं० 283/19 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि० थाना नीमगांव

3-मु०अ०सं० 174/19 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि थाना नीमगांव

4-मु०अ०सं० 359/20 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना नीमगांव

**थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त
शुशील कुमार मिश्रा पुत्र मेवालाल को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 31.05.2022 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त शुशील कुमार मिश्रा पुत्र मेवालाल को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना ईसानगर पर मु0अ0सं0 283/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शुशील कुमार मिश्रा पुत्र मेवालाल निवासी नौरगपुर थाना ईसानगर जनपद खीरी

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **03 वांछित व 14 वारण्टी** अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 60 लीटर अवैध शराब व 01 शराब भट्टी बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **60 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **01 शराब भट्टी** बरामद कर **03 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **03 अभियोग** पंजीकृत किए गए।